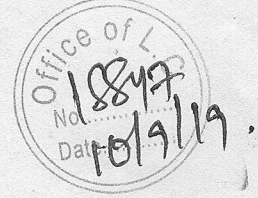


प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
श्रम विभाग।

सेवा में

श्रम आयुक्त, हरियाणा
30 बेज़ बिल्डिंग, सैक्टर 17,
चण्डीगढ़।



LCCBury

यादी क्रमांक: 6/73/2018-1श्रम
दिनांक : 03.09.2019

विषय:-

कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम, 1923 में संशोधन पश्चात 'आयुक्त' की शक्तियों बारे -
श्री अनुज साहरण, सहायक श्रम आयुक्त, सर्कल-4, गुरुग्राम।

Accepts
10-9-19
सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमांक स्था0/01/2019/26391 दिनांक 21.08.2018 के

Supdt.

2. विषयोक्त मामले में कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम, 1923 Section 20(1) में संशोधन पश्चात सरकार श्री अनुज साहरण को उन द्वारा दिनांक 01.08.2014 से 01.08.2019 तक सहायक श्रम आयुक्त (राजपत्रित) के पद पर 5 वर्ष का अनुभव अर्जित किए जाने के पश्चात, विचारोपरान्त श्रमिकों के मामलों में 'आयुक्त' के रूप में फ़ौसला लेने की शक्तियों को प्रतिधारित रखने (Restoration) के लिये सहमत है।

P
10/9

R1

अवर सचिव

कृते: प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 6/73/2018-1श्रम

दिनांक, चण्डीगढ़: 03.09.2019

एक प्रति श्री अनुज साहरण, सहायक श्रम आयुक्त, सर्कल-4, श्रम विभाग, गुरुग्राम सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

अवर सचिव

कृते: प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
श्रम विभाग

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
श्रम विभाग।

सेवा में

✓ श्रम आयुक्त, हरियाणा
30 बेज़ बिल्डिंग, सैक्टर 17,
चण्डीगढ़।



L-c (Busy)

PS/LC
10-9-19

विशय:-

यादी क्रमांक: 6/24/2019-1श्रम
दिनांक : 05.09.2019

कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम, 1923 में संशोधन पश्चात 'आयुक्त' की शक्तियों बारे -
श्री मनीष कुमार, सहायक श्रम आयुक्त, सर्कल-6, गुरुग्राम।

10-9-19

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमांक स्था0/01/2019/26391 दिनांक 21.08.2018 के
सन्दर्भ में।

2.

विषयोक्त मामले में कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम, 1923 Section 20(1) में संशोधन पश्चात
सरकार श्री मनीष कुमार को उन द्वारा दिनांक 01.08.2014 से 01.08.2019 तक सहायक श्रम आयुक्त
(राजपत्रित) के पद पर 5 वर्ष का अनुभव अर्जित किए जाने पर, विचारोपरान्त श्रमिकों के मामलों में
'आयुक्त' के रूप में फैंसले लेने की शक्तियों को प्रतिधारित रखने (Restoration) के लिये सहमत है।

कर्मचारी मनीष
अवर सचिव, श्रम

कृते: प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 6/24/2019-1श्रम

दिनांक, चण्डीगढ़: 05.09.2019

एक प्रति श्री मनीष कुमार, सहायक श्रम आयुक्त, सर्कल-6, श्रम विभाग, गुरुग्राम को
सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

sd.

अवर सचिव, श्रम
कृते: प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
श्रम विभाग